



महत्वपूर्ण सूचना

- सोलर पावर प्लांट के माध्यम से अपने कृषि क्षेत्रों को सुगम एवं सस्ता बनाने के लिए इच्छुक किसान / फर्म 02 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि / मिश्रित फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है ताकि बिहार के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सके।
- किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज / रेंट पर दे सकते हैं।
- एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

योजना की प्रमुख बातें:

- **वित्तीय सहायता**
 - भारत सरकार: प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़
 - बिहार सरकार: प्रति मेगावाट ₹45 लाख
- **सोलर प्लांट निर्माण:** सफल निवेदक को 12 महीने के भीतर सोलर प्लांट दर्थापित कर विद्युत उपकेंद्र से जोड़ा होगा।
- **बिजली खरीद समझौता:** वितरण कंपनी 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगी।
- **प्राप्ति:**
 - किसान, किसान समूह/सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वयं सहायता संघ बिना किसी तकनीकी या वित्तीय मानदंड के भाग ले सकते हैं।
 - किसानों को केवल ₹1 लाख प्रति मेगावाट का ईएमटी देजा होगा।

पंजीकरण:

- <https://eproc2.bihar.gov.in> पर संजिद्धेशन करें।
- क्लास- 3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
- निविदा शुल्क: ₹590 टेंट ग्रोसिंग शुल्क, ₹11,800 रु. टेंट शुल्क और ₹1 लाख प्रति मेगावाट अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 02 अप्रैल 2025

अधिक जानकारी के लिए कंपनी के कार्यपालक अभियंता/सहायक कार्यपालक अभियंता 7635094261/7320924004 पर संपर्क करें।

निविदा से संबंधित दस्तावेज, विद्युत उपकेंद्रों की सूची एवं वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए सोलर प्लांट की क्षमता को <https://eproc2.bihar.gov.in> पर टेंट आईडी- 93904 के माध्यम से देखें।

चलें, हरित ऊर्जा से खेती करें साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं!!

